

रा.बैं. पु. वी.(चीनी कक्ष)/

/एथनॉल-35/2021-22

दिनांक - 03 जून 2021

परिपत्र सं./ 117 /पुनर्वित - 36 /2021

प्रबंध निदेशक

सभी राज्य सहकारी बैंक

“परियोजना प्रस्तावकों को उनकी इथनॉल डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने के लिए या अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वार), गन्ना, चुकंदर, आदि जैसे फ्रीड-स्टॉक से पहली पीढ़ी (1जी) के इथनॉल के उत्पादन के लिए डिस्टिलरियां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना”

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 जनवरी 2021 के राजपत्र आधिसूचना सं 128 के माध्यम से इथनॉल उत्पादन क्षमता के संवर्धन और वृद्धि के लिए चीनी मिलों/डिस्टिलरिस/एंटेप्रेंनोर को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपरोक्त योजना को अधिसूचित किया गया है

उक्त अधिसूचना के अधिनस्त, नाबार्ड को डीएफपीडी के साथ संवाद करने और योजना के तहत ब्याज सहायता के प्रबंधन के लिए नोडल बैंक नियुक्त किया गया है। हम भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा विधिवत रूप से जांच एवं

Scheme for extending financial assistance to project proponents for enhancement of their ethanol distillation capacity or to set up distilleries for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane, sugar beet, etc.”

Department of Food and Public Distribution (DFPD), Government of India has notified the “Scheme for extending financial assistance to project proponents for enhancement of their ethanol distillation capacity or to set up distilleries for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane, sugar beet, etc.” vide Gazette Notification No.128 dated 14 January 2021

In terms of the said notification, NABARD has been appointed as the Nodal Bank for interacting with DFPD and managing interest subvention under the scheme. We enclose herewith the operational guidelines of the said scheme duly vetted by Department of Food and Public Distribution (DFPD),

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट नं. सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि.: +91 22 2652 4926 • फैक्स : +91 22 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. • Tel.: +91 22 2652 4926 • Fax : +91 22 2653 0090 • E-mail : dor@nabard.org



<p>डीएफएस, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना के संचालन दिशानिर्देशों को संलग्न कर रहे हैं।</p> <p>आप से अनुरोध है कि योजना के सुचारु कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के बीज उपरोक्त योजना के परिचालन दिशानिर्देशों को प्रसारित करने की व्यवस्था करें।</p> <p>कृपया पावती दें।</p>	<p>Government of India and approved by DFS, GoI.</p> <p>We shall be glad if you will please arrange to circulate the operational guidelines of the captioned scheme among District Central Cooperative Banks to ensure smooth implementation of the scheme.</p> <p>Please acknowledge receipt.</p>
---	--

भवदीय



(एल. आर. रामचंद्रन)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: 1. परिचालन दिशानिर्देश
2. राजपत्र साधिसूचना





उक्त दिनांक का परांकन सं.बैं. पु. वी.(चीनी कक्ष)/

18

/एथनॉल-35/2021-22

प्रति सूचना/ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:

1. अध्यक्ष के कार्यपालक सहायक, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई.
2. उप प्रबन्धक निदेशक(एस के वी) के सचिवालय, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई
3. उप प्रबन्धक निदेशक(पी वी एस एस) के सचिवालय, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई
4. सचिव, भारतसरकार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषिभवन, नई दिल्ली
5. सहकारिता विभाग, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सचिव
6. मुख्यमहाप्रबंधक, वित्तीय समावेशन और विकास विभाग, भारती यरिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई - 400001
7. प्रबंधनिदेशक, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड (NAFSCOB) जेकेचैम्बर्स, 5वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 76, सेक्टर -17, वाशी, नवी मुंबई
8. सभीराज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों की सहकारी समितियों केर जिस्ट्रार
9. मुख्यमहाप्रबंधक / महाप्रबंधक / प्रभारीअधिकारी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, सभी क्षेत्रीय कार्यालय।परिपत्र की एक प्रति जिला विकास प्रबंधकों को उपलब्ध कराई जा सकती है।
10. प्रधानाचार्य, एनबीएससी, लखनऊ
11. निदेशक, बर्ड, लखनऊ
12. संयुक्त निदेशक, बर्ड, बोलपुर / बर्ड, मंगलौर
13. प्रधानाचार्य, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग, भारतीय रिजर्व बैंक, गणेश खिंदरोड, पुणे- 411 016
14. मुख्य महाप्रबंधक, सभी प्रमुख कार्यालय विभाग, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, मुंबई

(पी के माहेश्वरी)
महाप्रबंधक



**परिचालनात्मक
दिशानिर्देश
Operational
Guidelines**

“परियोजना प्रस्तावकों को उनकी इथनॉल डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने के लिए या अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वार), गन्ना, चुकंदर, आदि जैसे फ़ीड-स्टॉक से पहली पीढ़ी (1जी) के इथनॉल के उत्पादन के लिए डिस्टिलरियां स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना”.

"Scheme for extending financial assistance to project proponents for enhancement of their ethanol distillation capacity or to set up distilleries for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane, sugar beet, etc”.

चीनी मिलों की तरलता की स्थिति में सुधार लाने और उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए इथनॉल के उत्पादन को बढ़ाने, विशेष रूप से अधिशेष मौसम के दौरान बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने इथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के अंतर्गत "इथनॉल की उत्पादन क्षमता में वृद्धि और आपूर्ति में बढ़ोतरी के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता देने की योजना" को दिनांक 19.07.2018 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3523(ई) के अंतर्गत अधिसूचित किया, जिसे बाद में क्रमशः दिनांक 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019 और 20.05.2020 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3952(ई), एस.ओ. 5219(ई), एस.ओ. 47(ई), एस.ओ. 4104(ई) और एस.ओ. 1523(ई) के माध्यम से संशोधित किया गया. तत्पश्चात, इथनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि और चीनी मिलों और शीरा आधारित एकल डिस्टिलरियों को वित्तीय सहायता देने की योजनाएँ दिनांक 08.03.2019 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1227(ई) और एस.ओ. 1228(ई) के माध्यम से अधिसूचित की गईं. इसके आगे, दिनांक 15.09.2020 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3135(ई) और एस.ओ. 3136(ई) के माध्यम से शीरा आधारित एकल डिस्टिलरियों और चीनी मिलों से 30 दिनों की छोटी अवधि के अंदर योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे. अब केंद्र सरकार, एतद्वारा "परियोजना प्रस्तावकों को उनकी इथनॉल डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना या फ़ीड-स्टॉक जैसे अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वार), गन्ना, चुकंदर आदि से पहली पीढ़ी (1जी) के इथनॉल के उत्पादन के लिए डिस्टिलरियाँ स्थापित करने की योजना" नामक निम्नलिखित संशोधित योजना को अधिसूचित करती है-

The Central Government with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, especially in the surplus season and thereby to improve the liquidity position of the sugarmills enabling them to clear cane price arrears of the farmers notified the scheme namely "Scheme for extending financial assistance to sugarmills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" vide notification No. S.O. 3523(E), dated 19.07.2018, which was subsequently amended vide notifications No. S.O. 3952(E), No. S.O. 5219(E), No. S.O. 47(E), No. S.O. 4104(E) and No. S.O. 1523(E) dated 09.08.2018, 11.10.2018, 04.01.2019, 14.11.2019 and 20.05.2020 respectively. Thereafter schemes for extending financial assistance to sugarmills & molasses based standalone distilleries for enhancement and augmentation of ethanol production capacity were notified on 08-3-2019 vide notifications No. S.O. 1227(E) & S.O. 1228(E). Further vide notifications No. S.O. 3135(E) & S.O. 3136(E) dated 15.09.2020, a small window was opened for 30 days for inviting applications under

the scheme from molasses based stand alone distilleries and from sugar mills. Now, the Central Government, hereby notifies the following modified scheme namely- "Scheme for extending financial assistance to project proponents for enhancement of their ethanol distillation capacity or to setup distilleries for producing 1st Generation(1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane, sugar beet etc." –

(1) पात्रता Eligibility

इस योजना के अंतर्गत उद्यमियों को निम्नलिखित के लिए सहायता उपलब्ध होगी:

Assistance under the scheme shall be available to the entrepreneurs for:

(i) इथनॉल का उत्पादन करने के लिए अनाज आधारित डिस्टिलरियों की स्थापना/ मौजूदा अनाज आधारित डिस्टिलरियों का विस्तार. हालांकि, ब्याज सहायता योजना का लाभ केवल उन्हीं डिस्टिलरियों को दिया जाएगा जो ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन सॉल्यूबल (डीडीजीएस) का उत्पादन करने के लिए ड्राई मिलिंग तकनीक का उपयोग कर रहे हैं या करेंगे.

Setting up grain based distilleries/expansion of existing grain based distilleries to produce ethanol. However, benefits of interest subvention scheme is to be extended to only those distilleries which are using or will be using dry milling technique to produce Dry Distillers Grain Soluble (DDGS).

(ii) इथनॉल का उत्पादन करने के लिए शीरा आधारित नई डिस्टिलरियों की स्थापना/ मौजूदा डिस्टिलरियों (चाहे चीनी मिलों से जुड़ी हों या एकल डिस्टिलरियां) का विस्तार करने के लिए और शून्य तरल स्राव (जेडएलडी) प्राप्त करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी भी विधि को स्थापित करने के लिए.

Setting up new molasses based distilleries/expansion of existing distilleries (whether attached to sugar mills or standalone distilleries) to produce ethanol and for installing any method approved by Central Pollution Control Board for achieving Zero Liquid Discharge(ZLD).

(iii) नई दोहरी फीड वाली डिस्टिलरी स्थापित करना या दोहरी फीड वाली डिस्टिलरी की मौजूदा क्षमताओं का विस्तार करना.

To set up new dual feed distilleries or to expand existing capacities of dual feed distilleries.

(iv) मौजूदा शीरा आधारित डिस्टिलरियों (चाहे चीनी मिलों से जुड़ी हों या एकल डिस्टिलरियां) को दोहरी फीड वाली डिस्टिलरियों (शीरा और अनाज / या 1जी इथनॉल का उत्पादन करने वाला कोई अन्य फीड स्टॉक) में परिवर्तित करने के लिए और अनाज आधारित डिस्टिलरियों को भी दोहरी फीड में बदलने के लिए.

To convert existing molasses based distilleries (whether attached to sugar mills or standalone distilleries) to dual feed (molasses and grain/ or any other feed stock producing 1G Ethanol); and also to convert grain based distilleries to dualfeed.

(v) चुकंदर, ज्वार, अनाज आदि जैसे 1जी इथनॉल का उत्पादन करने वाले अन्य फीड स्टॉक से इथनॉल का उत्पादन करने के लिए नई डिस्टिलरियों की स्थापना करना/ मौजूदा डिस्टिलरियों का विस्तार करना.

To set up new distilleries / expansion of existing distilleries to produce ethanol from other feed stocks producing 1G ethanol such as sugar beet, sorghum, cereals etc.

(vi) मौजूदा डिस्टिलरियों में परिशोधित स्पिरिट को इथनॉल में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर सीव डिहाइड्रेशन (एमएसडीएच) कॉलम स्थापित करना.

To install Molecular Sieve Dehydration (MSDH) column to convert rectified spirit to ethanol in the existing distilleries.

(2) इस योजना के अंतर्गत सहायता Assistance under the Scheme

(i) परियोजना प्रस्तावकों द्वारा लिए गए ऋण पर 6% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता या नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र बैंकों/ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी)/ भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए)/ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)/ किसी अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों पर प्रभारित ब्याज दर का 50%, इसमें से जो भी कम हो, का वहन केंद्र सरकार द्वारा एक वर्ष की स्थगन अवधि सहित पांच वर्ष तक किया जाएगा.

Interest subvention @ 6% per annum or 50% of rate of interest charged by banks/ National Cooperative Development Corporation (NCDC)/ Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA)/ Non-Banking Financial Companies (NBFCs)/ any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD, whichever is lower, on the loans to be extended by banks / NCDC/ IREDA/ NBFCs/ any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD, shall be borne by the Central Government for five years including one year moratorium against the loan availed by project proponents.

(ii) योजना के तहत ब्याज सहायता, प्रस्तावित क्षमता के आधार पर प्रत्येक परियोजना के संबंध में स्वीकृत और संवितरित ऋण राशि पर प्रदान किया जाएगा, जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित परियोजना तक सीमित है.

Interest subvention under the scheme shall be provided on loan amount sanctioned and disbursed in respect of each project based on the proposed capacity, limited to the in principle approval by Department of Food and Public Distribution (DFPD).

(iii) ब्याज सहायता केवल उन्हीं डिस्टिलरियों के लिए उपलब्ध होगी जो पेट्रोल के साथ मिश्रण के लिए अतिरिक्त डिस्टिलेशन क्षमता से उत्पादित कम से कम 75% इथनॉल की आपूर्ति तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को करेंगी.

Interest subvention would be available to only those distilleries which will supply at least 75% of ethanol produced from the added distillation capacity to OMCs for blending with petrol.

(iv) उन चीनी मिलों और डिस्टिलरियों को सहायता उपलब्ध नहीं होगी, जिन्होंने इसी परियोजना के लिए केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के तहत लाभ प्राप्त किया हो.

Assistance shall not be available to sugar mills and distilleries which have availed benefits under any other scheme of Central Government for the same project.

(v) अनाज आधारित डिस्टिलरियों के मामले में, ब्याज सहायता केवल तभी लागू होगी जब वे ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन सॉल्यूबल (डीडीजीएस) का उत्पादन करने के लिए ड्राई मिलिंग तकनीक का उपयोग कर रहे हैं या करेंगे.

In case of grain based distilleries, interest subvention would be applicable only if they are using or will be using dry milling technique to produce DDGS.

(3) आवेदन की प्रस्तुति Submission of application.

इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए चीनी मिलों/ डिस्टिलरियों/ उद्यमियों को निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध-I) में निदेशक (चीनी), चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), कृषि भवन, नई दिल्ली को योजना की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर और भविष्य में, डीएफपीडी द्वारा समय-समय पर इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नए आवेदन

आमंत्रित करने पर एक आवेदन-सह-प्रस्ताव, डीएफपीडी पोर्टल (<http://sugarethanol.nic.in/>) पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा.

For availing assistance under the Scheme, the sugar mills/distilleries/entrepreneurs would be required to submit an application cum-proposal in the prescribed Proforma (**Annexure-I**) to the Director (Sugar), Directorate of Sugar and Vegetable Oils, Department of Food & Public Distribution (DFPD), Krishi Bhawan, New Delhi within 30 days from the date of notification of the scheme through online on the DFPD portal (<http://sugarethanol.nic.in/>) and in future, whenever a window is opened by DFPD from time to time to invite fresh applications to avail benefit under the Scheme.

(4) आवेदनों का मूल्यांकन/ स्वीकृति Appraisal/Approval of applications

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), जांच समिति और अनुमोदन समिति नामक दो समितियों का गठन करेगा. इस योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों को जांच समिति और अनुमोदन समिति के समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद पात्र आवेदकों को डीएफपीडी द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी. उपर्युक्त समितियाँ आवश्यक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए आवेदनों की संवीक्षा करेंगी. चीनी मिलों पर सरकारी देय राशि अर्थात् एसडीएफ देय होने की स्थिति में सैद्धांतिक स्वीकृति, सरकारी बकाया की चुकौती के बाद ही दी जाएगी.

DFPD will constitute two Committees viz. Screening Committee and Approval Committee. The proposals received under the Scheme would be placed before Screening Committee and Approval Committee and thereafter in-principle approval would be accorded by DFPD to the eligible applicants. The said Committees shall scrutinize the applications keeping in view the parameters as deemed necessary. In case of sugar mills having Government dues namely SDF dues, in-principle approval would be accorded only after clearance of Government dues.

(5) योजना की रूपरेखा Modalities of the Scheme

(i) आवेदनों-सह-प्रस्तावों की संवीक्षा के बाद, डीएफपीडी सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान करेगा और ऋण की मंजूरी पर विचार करने के लिए ऋण देने वाले बैंकों/ वित्तीय संस्थानों को ऐसे अनुमोदित प्रस्तावों की सिफारिश करेगा. बैंक/एनसीडीसी/ आईआरडीए/ एनबीएफसी/ कोई अन्य वित्तीय संस्थान जो नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं, वे अपने वाणिज्यिक मानदंडों/नीतियों के अनुसार और आरबीआई द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पुनर्संरचना दिशानिर्देशों सहित नियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए ऋण स्वीकृत/जारी करने के लिए स्वतंत्र होंगे.

After scrutinizing the applications cum proposals, DFPD will accord in principle approval and recommend such approved proposals to the lending banks/financial institutions for considering sanction of loan. Banks/NCDC/IREDA/NBFCs/any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD would be at liberty to sanction/release the loan as per their commercial norms/policies and in compliance with regulatory guidelines, including the restructuring guidelines, as notified by RBI from time to time.

(ii) आवेदक को बैंक/ एनसीडीसी/ आईआरडीए/ एनबीएफसी/ किसी अन्य वित्तीय संस्थान, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं, से ऋण संवितरण डीएफपीडी के सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर प्राप्त कर लेना चाहिए, ऐसा न करने पर परियोजना के लिए दी गई सैद्धांतिक मंजूरी निरस्त मानी जाएगी. इसके अलावा, बैंक/एनसीडीसी/ आईआरडीए/ एनबीएफसी/ किसी अन्य वित्तीय संस्थान जो नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं,

से ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से 2 साल के भीतर परियोजना को पूरा कर लिया जाना चाहिए.

The applicant should get the loan disbursed from the bank/ NCDC /IREDA / NBFCs / any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD, within **1 year** from the date of in-principle approval of DFPD, failing which the in-principle approval for the project will stand cancelled. Further, the project should be completed within **2 years** from the date of disbursement of 1st installment of loan from bank/ NCDC/IREDA/NBFCs/any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD.

(iii) आवेदक को विभिन्न गतिविधियों के लिए डीएफपीडी द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा का पालन करना चाहिए, जैसे परियोजना के लिए भूमि की व्यवस्था, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रवेश पोर्टल (<http://parivesh.nic.in/>) पर पर्यावरण संबंधी मंजूरी प्राप्त करने के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन जमा करना और बैंक/ एनसीडीसी /आईआरडीई /एनबीएफसी/ कोई अन्य वित्तीय संस्थानों के पास ऋण आवेदन जमा कराना, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं; प्रत्येक माह डीएफपीडी पोर्टल (<http://sugarethanol.nic.in/>) पर प्रगति को अद्यतन करना, ऐसा न करने पर डीएफपीडी द्वारा परियोजना के सैद्धांतिक अनुमोदन को निरस्त किया जा सकता है.

The applicant should adhere to the time line as specified by DFPD for various activities viz. arrangement of land for the project, submission of application for seeking approval of environmental clearance in parivesh portal of Ministry of Environment, Forest & Climate Change (<http://parivesh.nic.in/>) and submission of loan application to the bank/ NCDC/IREDA/NBFCs/any other financial institutions which are eligible for refinance from NABARD; updating progress on the DFPD portal (<http://sugarethanol.nic.in/>) every month, failing which the in- principle approval for the project may be cancelled by DFPD.

(iv) अपनी-अपनी परियोजनाओं को लागू करते समय, चीनी मिलों/ डिस्टिलरियों को इथनॉल उत्पादन में क्षमता वृद्धि/ उन्नयन के लिए सरकार की 'मेक इन इंडिया योजना' के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए.

While implementing their respective projects, the sugar mills/distilleries shall strive to seek convergence with the Make in India scheme of the Government for capacity addition/ up-gradation in ethanol production.

(v) इस योजना के तहत ऋण का संवितरण एक अलग खाते में होगा, ताकि उपर्युक्त उद्देश्य के लिए धन के उपयोग की निगरानी आसानी से की जा सके.

The disbursement of loan under the scheme shall be in a separate account so that the utilization of the money for the said purpose is easily monitored.

(6) ब्याज सहायता भुगतान की रूपरेखा

Modalities for payment of interest subvention

(i) इस योजना के तहत ऋण राशि पर ब्याज सहायता का भुगतान एक वर्ष की स्थगन अवधि सहित केवल 5 वर्ष तक सीमित रहेगा. स्थगन अवधि के दौरान चीनी मिलों / डिस्टिलरियों को बैंकों को ब्याज का भुगतान करना होगा. बैंक, नाबार्ड से स्थगन अवधि के दौरान ब्याज सहायता का दावा प्रस्तुत करने के लिए पात्र होंगे. नाबार्ड द्वारा जारी ब्याज सहायता की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर इसे उधारकर्ता के ऋण खाते में जमा किया जाना चाहिए.

Payment of interest subvention on loan amount under the scheme will be limited to only 5 years including one year moratorium period. During the moratorium period the sugar mills/distilleries will be required to pay interest to the banks. Bank will be eligible to claim subvention during the moratorium period from NABARD. Interest subvention released by NABARD should be credited to the borrower's loan account within one week from receipt thereof.

(ii) भारत सरकार द्वारा ब्याज सहायता का लाभ केवल तभी प्रदान किया जाएगा जब आवेदक चीनी मिल / डिस्टिलरी का खाता मानक है और जब तक खाता अनर्जक है यह लाभ उपलब्ध नहीं होगा. चीनी मिल/ डिस्टिलरी मूलधन के साथ चूक की अवधि के लिए दंडात्मक ब्याज सहित ब्याज की अदायगी के लिए जिम्मेदार होगी.

The benefit of interest subvention will be provided by Government of India only if the account of applicant sugar mill/distillery is Standard and will not be available as long as account is NPA. The sugar mill/distillery will be responsible for repayment of interest including penal interest for the period of default alongwith the principal.

(iii) इसके अलावा, बैंक, चूककर्ता उधारकर्ताओं के विरुद्ध बैंकिंग मानदंडों और लागू नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे. एकमुश्त निपटान योजना/ समझौता आदि के तहत उधारकर्ताओं द्वारा निपटाए गए ऋण खाते ब्याज सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे.

Further, banks will be free to take necessary action against the defaulting borrowers as per banking norms and applicable regulatory guidelines. Loan accounts settled by borrowers under One Time Settlement scheme/ compromise, etc. will not be eligible for interest subvention.

(iv) चीनी मिलों/ डिस्टिलरियों के पास अधिशेष नकदी प्रवाह की स्थिति में, त्वरित भुगतान का निर्णय बैंक/एनसीडीसी/ आईआरडीसी/ एनबीएफसी/ किसी अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा लिया जा सकता है जो नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं और ऐसे में डीएफपीडी की ऋण खाते पर ब्याज सहायता देयता तदनुसार कम हो जाएगी.

In the event of surplus cash flow with the sugar mills/distilleries, accelerated payments may be decided by the bank/NCDC/IREDA/NBFCs / any other financial institutions which are eligible for re-finance from NABARD and the interest subvention liability of DFPD towards loan account would accordingly get reduced.

(v) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा नियुक्त नोडल बैंक को अग्रिम रूप से तिमाही आधार पर ब्याज सहायता राशि जारी करेगा. ब्याज सहायता के अग्रिम भुगतान पर अर्जित ब्याज को अगली तिमाही की किश्त में समायोजित किया जाएगा.

The Department of Food and Public Distribution (DFPD) will release the interest subvention amount on quarterly basis in advance to the nodal bank as appointed by DFS. The interest earned on the interest subvention paid in advance shall be adjusted in the next quarterly installment.

(7) परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र Project Completion Certificate

(i) संबंधित उद्यमी/चीनी मिल/डिस्टिलरी को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें प्रमाणित किया गया हो कि इस तरह के उद्देश्य के लिए आवेदन जमा कराते समय प्रस्तावित विधि के माध्यम से शून्य तरल स्राव (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज) प्राप्त किया गया है. नई डिस्टिलरी स्थापित करने या मौजूदा डिस्टिलरियों के विस्तार के लिए ऋण लेने वाली चीनी मिलों/ डिस्टिलरियों /उद्यमियों को संबंधित राज्य के आबकारी आयुक्त और सनदी अभियंता द्वारा विधिवत सत्यापित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा कि नई डिस्टिलरी स्थापित की गई है और उसने उत्पादन शुरू कर दिया है या मौजूदा डिस्टिलरी का विस्तार पूरा हो चुका है और इथनॉल का बढ़ा हुआ उत्पादन शुरू हो गया है. इस प्रकार के प्रमाणपत्र जमा न करने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा ब्याज सहायता की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी.

The concerned entrepreneur/sugar mill/distillery shall submit a certificate duly verified by the Central Pollution Control Board certifying that zero liquid discharge has been achieved through the method proposed at the time of submitting

application for such purpose. Sugar mills/distilleries/entrepreneurs availing loan to establish new distilleries or expansion of the existing distilleries shall submit a certificate duly verified by the Excise Commissioner of the State concerned and the Chartered Engineer certifying respectively that the new distillery has commenced production and has been installed or expansion of the existing distillery has been completed and enhanced production of ethanol has commenced. Any failure to submit such certificates shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.

(ii) अनुबंध-III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में 'पूर्णता और प्रारंभ प्रमाणपत्र' पूरा होने की तारीख से 06 महीने की अवधि के भीतर और बैंक द्वारा ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से 30 महीने के भीतर मुख्य निदेशक (चीनी), चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और इसकी एक प्रति संबंधित वित्तपोषी बैंक को भेजी जानी चाहिए.

The 'Completion and commencement-Certificate' in the format prescribed at Annexure- III should be submitted within a period of 6 months from the date of completion and not later than 30 months from the date of disbursement of first instalment of loan by the Bank, to the Chief Director (Sugar), Directorate of Sugar and Vegetable Oils, Department of Food & Public Distribution (DFPD), Krishi Bhavan, New Delhi-110001 with a copy to the concerned financing Bank.

(8) उपयोगिता प्रमाण पत्र Utilization Certificate

संबंधित चीनी मिलें/डिस्टिलरियां /उद्यमी स्वीकृत ऋण राशि के लिए उपयोग प्रमाणपत्र परियोजना के पूरा होने के तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करेंगे, जो संबंधित चीनी/गन्ना आयुक्त, आबकारी आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित करके प्रमाणित किया जाएगा कि ऋण राशि का उपयोग योजना में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया है. उपर्युक्त प्राधिकारी ऋण के उपयोग की निगरानी भी करेंगे. उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा न कराने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा ब्याज सहायता की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी.

The concerned sugar mills/distilleries/entrepreneurs shall submit utilization certificate for the sanctioned loan amount within three months of the completion of the project, duly verified by the respective Sugar/Cane Commissioners, Excise Commissioner or any other authority designated by the State Government certifying that the loan amount has been utilized for the purpose specified in the scheme. The said authorities shall also monitor the utilization of the loan. Any failure to submit the utilization certificate shall lead to non-reimbursement of interest subvention by the Central Government.

(9) ऋण देने वाले बैंकों के लिए निर्देश Instructions for lending banks

(i) उधार देने वाली बैंक शाखाओं को अपने नियंत्रक कार्यालयों अर्थात् अंचल या क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से और सहकारी बैंकों को राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं को अपने प्रधान कार्यालय के माध्यम से ब्याज सहायता के दावे पिछली तिमाही की समाप्ति के दो सप्ताह के भीतर नाबार्ड के प्रधान कार्यालय (पुनर्वित्त विभाग) को निर्धारित प्रारूप (बैंक फॉर्म II) में प्रस्तुत करना चाहिए.

Lending bank branches through their controlling offices viz. Zonal Office or Regional Offices and Cooperative Banks through StCBs and RRB branches through their Head Office should submit the claims for interest subvention within two weeks of the close of the previous quarter to the Head Office of NABARD (Department of Refinance) in the format prescribed (Bank Form II).

(ii) उधार देने वाली बैंक शाखाएं किए गए दावे की सत्यता के संबंध में सनदी लेखाकार से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करेंगी और इसे ब्याज सहायता दावे (बैंक फॉर्म-III) के साथ नाबार्ड के प्रधान कार्यालय में प्रस्तुत करेंगी.

The lending bank branches shall obtain a certificate from the Chartered Accountant regarding the correctness of the claim made and submit it to the Head Office of NABARD along with the interest subvention claim (Bank Form-III).

(iii) ऋण देने वाला प्रत्येक बैंक, वित्तपोषित इकाइयों का निरीक्षण करके स्वयं को संतुष्ट करेगा कि ऋण राशि का उपयोग योजना में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया है. इन निरीक्षण रिपोर्टों को संबंधित बैंक द्वारा अपने अभिलेखों में संरक्षित रखा जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे नाबार्ड/ डीएफपीडी को उपलब्ध कराया जाएगा.

Each lending bank shall also satisfy itself by inspection of the financed units that the loan amount has been utilised for the purpose as specified in the scheme. Such inspection report will be preserved by the concerned Bank in its records and shall be made available to NABARD/ DFPD when required.

(iv) दावे की सही गणना करने के लिए अंतर्निहित सूत्र के साथ एक्सेल फॉर्मेट में विशेष गणना शीट का उपयोग किया जाए और इसे सहायता दावे के साथ नाबार्ड को उपलब्ध कराया जाए.

Special calculation sheet in excel format with an in-built formula may be used for facilitating correct calculation of claim and made available to NABARD with the subvention claim.

(v) ऋण देने वाले बैंक के नियंत्रक कार्यालयों द्वारा अपेक्षित डेटा/सूचना पुनर्वित्त विभाग, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई को उपलब्ध कराई जाएगी.

The requisite data/information shall be provided by the controlling offices of lending bank to Department of Refinance, NABARD, Head Office, Mumbai.

(10) केंद्र सरकार आवश्यकतानुसार संबंधित कारणों का उल्लेख करते हुए आदेश द्वारा इस योजना के किसी भी प्रावधान में संशोधित कर सकती है.

Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing modify any of the provisions of this Scheme.

संलग्नक:

अनुबंध-I	-	वित्तीय सहायता के लिए चीनी मिल/ डिस्टिलरी / उद्यमी से आवेदनपत्र Application from sugar mill/distillery/entrepreneur for Financial Assistance
अनुबंध-II	-	उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रारूप Utilisation certificate format
अनुबंध-III	-	पूर्णता और प्रारम्भ प्रमाणपत्र Completion & Commencement Certificate
बैंक फॉर्म संख्या-I		: सावधि ऋण के संवितरण की सूचना Intimation of disbursement of term loan
बैंक फॉर्म संख्या-II		: ब्याज सहायता का दावा Interest Subvention claim
बैंक फॉर्म संख्या-III		: सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र Certificate from Chartered Accountant

अनुलग्नक-1

चीनी कारखानों/डिस्टिलरियों/उद्यमियों से उनकी इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता को बढ़ाने के लिए या अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वार), गन्ना, चुकंदर आदि जैसे फ़ीड स्टॉक से पहली पीढ़ी (1 जी) इथेनॉल के उत्पादन के लिए डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन.
APPLICATION FROM THE SUGAR FACTORY/DISTILLERY / ENTREPRENEURS FOR FINANCIAL ASSISTANCE FOR ENHANCEMENT OF THEIR ETHANOL DISTILLATION CAPACITY OR TO SET UP DISTILLERIES FOR PRODUCING 1ST GENERATION (1G) ETHANOL FROM FEED STOCKS SUCH AS CEREALS (RICE, WHEAT, BARLEY, CORN & SORGHUM), SUGARCANE, SUGAR BEET ETC.

अ. परियोजना के प्रस्तावकों का संक्षिप्त विवरण
Brief details of the project proponents

1	(क) चीनी कारखाने / डिस्टिलरी / उपक्रम / सोसायटी / कंपनी / व्यक्ति का नाम (a) Name of the sugar factory/ distillery/ undertaking / society/ company/individual	
	(ख) पूर्ण पता (b) Complete address	
	(ग) ईमेल (c) e-mail	
	(घ) मोबाइल नं. (d) Mobile No.	
	(च) जिला (e) District	
	(छ) राज्य (f) State	
2	डिस्टिलरी के साथ संलग्न चीनी कारखाने का संक्षिप्त नाम और संयंत्र कोड Short name & plant code of the sugar factory attached with distillery	
3	चीनी मिल/मौजूदा डिस्टिलरी (यदि कोई हो) के एथेनॉल उत्पादन के प्रारंभ होने की तिथि Date of commencement of ethanol production of the sugar mill/existing distillery (if any)	
4	(क) मौजूदा डिस्टिलरी की अल्कोहल उत्पादन क्षमता (a) Production capacity of alcohol of the existing distillery	
	(ख) मौजूदा डिस्टिलरी की इथेनॉल की उत्पादन क्षमता, यदि कोई हो (b) Production capacity of ethanol of the existing distillery, if any	
	(ग) मौजूदा डिस्टिलरी के परिचालन दिनों/वर्षों की संख्या (c) Number of operating days/annum of existing distillery	
5	एसडीएफ बकाया की स्थिति, यदि कोई हो (चीनी कारखाने के मामले में) Status of SDF dues, if any (in case of sugar factory)	

आ. नई डिस्टिलरी की स्थापना/मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार/ मोलिक्युलर सीव डिहाइड्रेशन (एमएसडीएच) कॉलम की स्थापना के प्रस्ताव से संबंधित सूचना

B. Information relating to proposal for setting-up of new distillery/expansion of existing distillery/ installation Molecular Sieve Dehydration (MSDH) column

1	<p>_____ के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव (उस श्रेणी को निर्दिष्ट करें जिसके तहत आवेदन जमा किया गया है; अधिसूचना का पैरा 1 देखें)</p> <p>Proposal submitted for (specify the category under which application is submitted; refer Para 1 of the notification)</p>	
2	<p>प्रस्तावित नई डिस्टिलरी की क्षमता केएलपीडी में</p> <p>Capacity of the proposed new distillery in KLPD</p>	
3	<p>विस्तार परियोजना के मामले में मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार के लिए प्रस्तावित विस्तार क्षमता (.....केएलपीडी से.... केएलपीडी तक)</p> <p>Proposed expansion capacity for expansion of existing distillery in case of expansion project (fromKLPD toKLPD)</p>	
4	<p>क्या नई डिस्टिलरी/मौजूदा डिस्टिलरी का विस्तार जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम के साथ स्थापित करने का प्रस्ताव है?</p> <p>Whether the new distillery / expansion of the existing distillery is proposed to be installed with zero liquid discharge system?</p>	हाँ/नहीं
5	<p>नई डिस्टिलरी/मौजूदा डिस्टिलरी परियोजना के विस्तार के लिए मूल मूल्य और लागू कर आदि सहित अनुरोध की गई वित्तीय सहायता.</p> <p>Financial assistance requested for new distillery / expansion of the existing distillery project including basic price and applicable taxes etc.</p>	
6	<p>ऋण देने वाले बैंक/शाखा का नाम</p> <p>Name of the lending bank/branch.</p>	
7	<p>क्या चीनी मिलों के मामले में इसी तरह की परियोजना के लिए एसडीएफ सहायता ली गई है?</p> <p>Whether SDF assistance has been availed for similar project in case of sugar mills?</p>	हाँ/नहीं
8	<p>नई डिस्टिलरी की स्थापना/मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार/ मोलिक्युलर सीव डिहाइड्रेशन (एमएसडीएच) कॉलम की स्थापना होने पर प्रस्तावित परिचालन दिन.</p> <p>Proposed days of operation on setting up of new distillery / expansion of the existing distillery/ installation of Molecular Sieve Dehydration (MSDH) column.</p>	
9	<p>नए संयंत्र के पूरा होने/मौजूदा संयंत्र के विस्तार/ मोलिक्युलर सीव डिहाइड्रेशन (एमएसडीएच) कॉलम की स्थापना की प्रस्तावित तिथि.</p> <p>Proposed date of completion of new plant / expansion of existing plant/ installation of Molecular Sieve Dehydration (MSDH) column.</p>	दिन/मास/वर्ष

10	<p>प्रस्तावित नई डिस्टिलरी या विस्तारित डिस्टिलरी, जैसा भी मामला हो, के लिए एथेनॉल उत्पादन के प्रारंभ होने की अपेक्षित तिथि.</p> <p>Expected date of commencement of ethanol production for the proposed new distillery or expanded distillery as the case may be.</p>	दिन/मास/वर्ष
11	<p>क्या मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार के लिए/ प्रस्तावित नई डिस्टिलरी के लिए संयंत्र और मशीनरी स्वदेशी स्रोत से खरीदे गए हैं (यदि नहीं, तो इसके कारण) ?</p> <p>Whether proposed new distillery / plants and machineries for expansion of the existing distillery are procured from indigenous source (if not, reasons for the same)?</p>	हाँ/नहीं

हस्ताक्षर

(नाम.....)

मुहर

अनुलग्नक II

Utilization certificate to be submitted by the Sugar Mills/distilleries/ entrepreneurs duly verified by the concerned Sugar/Cane Commissioner, Excise Commissioner or any other authority designated by the State Government

चीनी मिलों / डिस्टिलरियों / उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला उपयोगिता प्रमाण पत्र जिसे संबंधित चीनी / गन्ना आयुक्त, आबकारी आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है.

Name of Sugar Mill/ Entrepreneur / Distilleries &

Address.....

चीनी मिल / डिस्टिलरी / उद्यमी का नाम और

पता

संयंत्र कोड

Plant Code.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि खाता संख्या (शाखा के नाम के साथ बैंक का नाम) में संवितरित की गई (रुपये) की राशि चीनी मिल / डिस्टिलरी / उद्यमी द्वारा लिए गए ऋण के लिए (तारीख) मशीनरी की खरीद / डिस्टिलरी / उद्यमी योजना के तहत संयंत्र की स्थापना उसकी इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता को बढ़ाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए या अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वारी), गन्ना, चुकंदर आदि जैसे फीड स्टॉक से पहली पीढ़ी (1 जी) इथेनॉल के उत्पादन के लिए डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए.

This is to certify that an amount of Rs..... (Rupees.....) disbursed in the A/c No. maintained by (Bank Name with Branch Name)..... on (Date)..... towards the loan raised by the Sugar mill / Distilleries / Entrepreneur for purchase of machinery / setting up of plant under the scheme for extending financial assistance for enhancement of their ethanol distillation capacity or to set up distilleries for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stock such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane, sugar beet etc.

चीनी मिल/डिस्टिलरियों/उद्यमियों के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Authorized signatory of the Sugar Mill /

Distilleries / entrepreneurs

कारखाने के सांविधिक लेखा परीक्षक

statutory auditor of the factory

नाम-

नाम-

पदनाम-

पदनाम-

दिनांक:

दिनांक:

स्थान :

स्थान:

चीनी / गन्ना आयुक्त, आबकारी आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य प्राधिकरण

Commissioner of Sugar / Cane, Excise Commissioner or any other authority designated by the State Government

दिनांक :

स्थान :

अनुलग्नक III
पूर्णता और प्रारंभ प्रमाणपत्र

COMPLETION AND COMMENCEMENT CERTIFICATE

(इसे पूरा होने की तारीख से 06 महीने के भीतर और बैंक द्वारा ऋण की पहली किस्त के संवितरण की तारीख से 30 महीने के भीतर जमा करना होगा)

This has to be submitted within 06 months from the date of completion and not later than 30 months from the date of disbursement of first instalment of loan by the Bank)

- (i) शुगर मिल / उद्यमी / डिस्टिलरी का नाम
Name of Sugar Mill/ Entrepreneur / Distilleries
- (ii) संयंत्र कोड Plant Code.....
- (iii) परियोजना जिसके लिए वित्तीय सहायता ली गई है (सही विकल्प का चयन करें):
Project for which financial assistance has been taken (Tick the right option):
(a) एक नई डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए To establish a new distillery;
(b) मौजूदा डिस्टिलरी का विस्तार करने के लिए For expansion of the existing distillery
- (iv) नई डिस्टिलरी की स्थापना की तिथि/मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार के पूरा होने की तिथि
Date of installation of the new distillery/Date of completion of expansion of existing distillery:
- (v) नई डिस्टिलरी /विस्तारित डिस्टिलरी की क्षमता (क्षमता वृद्धि का उल्लेख किया जाए)
Capacity of new distillery/expanded distillery (capacity addition to be mentioned)
- (vi) इथेनॉल का उत्पादन शुरू होने की तिथि:
Date of commencement of production of ethanol:

यह प्रमाणित किया जाता है कि डिस्टिलरी, जिसका विवरण ऊपर दिया गया है, को एथेनॉल उत्पादन के लिए सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है.

This is to certify that the distillery, details of which have been given above has been commissioned successfully for ethanol production.

सनदी अभियंता के हस्ताक्षर व मुहर
(Seal and Signature of Chartered Engineer)

सनदी अभियंता का विवरण
Details of the Chartered Engineer

यह प्रमाणित किया जाता है कि डिस्टिलरी जिसका विवरण ऊपर दिया गया है उसकी स्थापना/विस्तार का कार्य पूरा कर लिया गया है और एथेनॉल का उत्पादन दिनांक से शुरू हो गया है.

This is to certify that installation/expansion of distillery, details of which have been given above has been completed and production of ethanol has commenced w.e.f.....

राज्य के आबकारी आयुक्त के हस्ताक्षर व मुहर
(Seal and Signature of Excise Commissioner of the State)

संबंधित अधिकारी का विवरण
Details of the concerned officer

बैंक फॉर्म -I

"परियोजना प्रस्तावकों को उनकी इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने के लिए या अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वार), गन्ना, चुकंदर, आदि जैसे फ़ीड स्टॉक से पहली पीढ़ी (1जी) इथेनॉल के उत्पादन के लिए डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना".

"Scheme for extending financial assistance to project proponents for enhancement of their ethanol distillation capacity or to set up distilleries for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane, sugar beet, etc."

(प्रत्येक संवितरण के तुरंत बाद संबंधित बैंक शाखा द्वारा अपने नियंत्रक कार्यालय के माध्यम से डीएफपीडी* और नाबार्ड को प्रस्तुत करना है)

(To be submitted to DFPD* and NABARD by concerned bank branch, through its Controlling Office immediately after each disbursement)

(राशि लाख रुपए में)

व्यक्तिगत ऋण खाता विवरण Individual Loan Account details			
बैंक का नाम, शाखा और कोड Name of Bank, Branch and Code			
संयंत्र कोड सहित शुगर मिल/डिस्टिलरियों/उद्यमियों का नाम Name of Sugar mill/distilleries/entrepreneurs with plant code			
डीएफपीडी द्वारा जारी सैद्धांतिक अनुमोदन की तिथि Date on which DFPD has accorded in-principle approval			
डीएफपीडी द्वारा जारी सैद्धांतिक अनुमोदन की राशि Amount of DFPD's in-principle approval			
सावधि ऋण मंजूरी की तिथि Date of sanction of Term Loan			
सावधि ऋण खाता संख्या Term Loan Account No.			
मंजूर किए गए ऋण की राशि Amount of sanctioned loan			
अनुबंधित ब्याज दर Interest rate contracted			
संवितरण Disbursements			
तिथि Date	राशि Amount	संचयी संवितरण Cumulative Disbursement	बकाया ऋण राशि O/s loan amount
चुकोती कार्यक्रम Repayment Schedule			

* मुख्य निदेशक (चीनी), चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली 110001
{दूरभाष: 011-23383760; फैक्स: 011-23382373; ईमेल: ddcost.fpd@nic.in}

* **Chief Director (Sugar)**, Directorate of Sugar and Vegetable Oils, Department of Food and Public Distribution, Krishi Bhawan, New Delhi 110001 [Tele : 011-23383760; Fax : 011-23382373; Email : ddcost.fpd@nic.in]

\$मुख्य महाप्रबंधक, पुनर्वित्त विभाग, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, प्लॉट नंबर सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), प्रधान कार्यालय, मुंबई-400 051। {दूरभाष। 022-26524926; ईमेल: dor@nabard.org, dorsugar@nabard.org}

\$The Chief General Manager, Department of Refinance, NABARD, Head Office, Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Head Office, Mumbai-400 051. {Tel. 022-26524926; email: dor@nabard.org, dorsugar@nabard.org}

वचन / प्रमाण पत्र
Undertaking/Certificate

प्रमाणित किया जाता है कि:

(क) सावधि ऋण चीनी मिल/ डिस्टिलरीज /उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा के बाद नए इन्सिनेरेटर बॉयलरों/नई भट्टियों की स्थापना और डीएफपीडी द्वारा अनुमोदित प्रस्तावित क्षमता को ध्यान में रखते हुए मंजूर किया गया है.

The term loan has been sanctioned after due vetting of the proposal submitted by the Sugar mill/distilleries/ entrepreneurs, taking into account the installation of new incineration boilers/new distilleries and the capacity proposed to be created as approved by DFPD.

(a) डीएफपीडी के सैद्धांतिक अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष के भीतर ऋण राशि का संवितरण किया गया था.

The loan amount was disbursed within one year from the date of in principle approval of DFPD.

(c) ऋण का संवितरण एक अलग परियोजना विशिष्ट ऋण खाते में किया गया था.

The disbursement of the loan was made in a separate project specific loan account.

(d) चीनी मिल/डिस्टिलरियों/उद्यमियों को मंजूरी की सूचना देते समय हिदायत दी गई है कि योजना के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट किए गए अनुसार उपयोगिता प्रमाणपत्र परियोजना के पूरा होने के तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करना है.

While communicating the sanction the Sugar mill/distilleries/ entrepreneurs has been advised that utilisation Certificate as specified in the guidelines of the scheme would be submitted within three months of completion of the project.

(e) चीनी मिल/ डिस्टिलरियों /उद्यमियों को मंजूरी की सूचना देते समय इथेनॉल उत्पादन में क्षमता वृद्धि/उन्नयन के लिए भारत सरकार की योजना के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सूचित किया गया है.

While communicating the sanction the Sugar mill/distilleries/ entrepreneurs has been advised to comply with all the terms and conditions of the scheme of Government of India for capacity addition/ up-gradation in ethanol production.

(f) देय ब्याज सहायता की गणना बकाया राशि पर चुकौती की वास्तविक तिथि या भुगतान की निर्धारित तिथि, जो भी पहले हो, के आधार पर की गई है.

Interest subvention Payable has been calculated on outstanding amount reckoning the actual date of repayment or prescribed date of payment whichever is earlier.

(g) चीनी मिल/डिस्टिलरीज/उद्यमियों का ऋण खाता मानक है.

The loan account of the Sugar mill/distilleries/ entrepreneurs is standard.

(शाखा प्रबन्धक के हस्ताक्षर)

दिनांक

नाम.....

स्थान.....

पदनाम.....

फोन नं.....

ई-मेल.....

(कृपया आधिकारिक मुहर लगाएं)

बैंक फॉर्म-II

“परियोजना प्रस्तावकों को उनकी इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता बढ़ाने के लिए या अनाज (चावल, गेहूं, जौ, मक्का और ज्वार), गन्ना, चुकंदर, आदि जैसे फ्रीड स्टॉक से पहली पीढ़ी (1जी) इथेनॉल के उत्पादन के लिए डिस्टिलरी स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना”.

"Scheme for extending financial assistance to project proponents for enhancement of their ethanol distillation capacity or to set up distilleries for producing 1st Generation (1G) ethanol from feed stocks such as cereals (rice, wheat, barley, corn & sorghum), sugarcane, sugar beet, etc."

(ऋणदाता बैंकों की शाखा द्वारा अपने नियंत्रक कार्यालय के माध्यम से नाबार्ड* को 14 जुलाई, 14 अक्टूबर, 14 जनवरी और 14 अप्रैल तक जून, सितंबर, दिसंबर और मार्च को समाप्त तिमाहियों के लिए प्रस्तुत करना है

To be submitted by Branch of lending banks through its controlling office to NABARD* by
14 July, 14 October, 14 January and 14 April for quarters ended June, September,
December and March)

समाप्त तिमाही के लिए ब्याज सहायता का दावा --.....

Interest Subvention claim for the quarter ended-----

(ऋणदाता बैंक)

(राशि रु. में)

ऋणदाता बैंक और शाखा का नाम Name and Branch of the lending Bank							
ऋण खातों का विवरण Loan Account details						ब्याज	
क्रम सं.	ऋणदाता बैंक का नाम और कोड Name & Code of lending Branch	चीनी कारखाने का नाम Name of the Sugar Factory	ऋण खाता संख्या Loan Account No.	मंजूर ऋण Loan Sanctioned	संवितरित ऋण Loan disbursed	ब्याज दर Rate of Interest (d)	ब्याज दावे की राशि Amount of Interest Claim

* मुख्य महाप्रबंधक, पुनर्वित्त विभाग, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, प्लॉट नंबर सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400 051 {दूरभाष: 022-26524926; फैक्स: 022-26530090; ईमेल: dor@nabard.org}
the Chief General Manager, Department of Refinance, NABARD, Head Office, Plot No.C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 {Tel. 022-26524926; Fax: 022-26530090; e mail: dor@nabard.org}

यह प्रमाणित किया जाता है कि Certified that:

1) ऋण राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट किए गए उद्देश्य के लिए किया गया है.

The loan amount has been utilized for the purpose as specified in the guidelines of the Scheme.

2) जो खाते चूक की स्थिति में चले गए हैं उन खातों के लिए ब्याज का कोई दावा नहीं किया गया है और जो खाते दावा करने के बाद चूक की स्थिति में गए हैं, उन खातों के समक्ष अग्रिम के रूप में दावा की गई ब्याज राशि को (वापस करके) वर्तमान में प्रस्तुत किए गए दावे में समायोजित किया गया है.

No interest has been claimed for the accounts which have gone into default and interest amount claimed as advance for the accounts, which have subsequently gone into default, has been adjusted (by the way of refund) in the present claim submitted.

(शाखा प्रबन्धक के हस्ताक्षर)

दिनांक

नाम.....

स्थान.....

पदनाम.....

फोन नं.....

ई-मेल.....

(कृपया आधिकारिक मुहर लगाएं)

- परांकनEnds. 1. सनदी लेखाकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र
Certificate Issued by Chartered Accountant
2. एक्सेल फॉर्मेट में गणना पत्रक
Calculation sheet in excel format

बैंक फॉर्म III

(सीए प्रमाणपत्र का प्रारूप CA CERTIFICATE FORMAT)

बैंक द्वारा प्रतिनियुक्त स्वतंत्र सनदी लेखाकार से ब्याज सहायता दावों की सत्यता का प्रमाण पत्र

CERTIFICATE OF CORRECTNESS OF INTEREST SUBVENTION CLAIMS FROM THE INDEPENDENT CHARTERED ACCOUNTANT ENGAGED BY THE BANK

(शाखा के प्रत्येक तिमाही दावे के साथ प्रस्तुत किया जाना है
To be furnished with each quarterly claim of the branch)

संदर्भ संख्या Reference No.

इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए चीनी मिल / डिस्टिलरी / उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के तहत मैंने/हमने (सनदी लेखाकार/ सनदी लेखाकारों की फर्म) (शाखा का नाम) (बैंक का नाम) के को समाप्त तिमाही के लिए ब्याज सहायता दावे का सत्यापन किया है निम्नलिखित चीनी मिलों के संबंध में जाँच की गई है और इसे सही पाया गया है.

I / We (Name of Chartered Accountant / Firm of Chartered Accountants) have verified the interest subvention claim of..... (Name of the branch) of(Name of the bank) under the Scheme for extending financing assistance to Sugar Mill/ Distilleries/entrepreneurs for Enhancement of Ethanol Production Capacity for the quarter ended..... has been checked and found correct in respect of the following sugar factories.

क्रमांक	इकाइयों के नाम	ऋण खाता	दावाकृत ब्याजराशि
		कुल	

हस्ताक्षर
सदस्यता सं.
सनदी लेखाकार का नाम.....
(मुहर लगाएं)

स्थान:

दिनांक: